न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 73/2008, (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2008/00003) पीठासीन अधिकारीः-श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. गोपी
2. घन्सी

पिस0 वादाम जातियान कुम्हार नि0 ग्राम जटेरी तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

-असल अप्रार्थी

2. मोतीराम पुत्र राजाराम
3. शिब्बो
4. रग्गो

पिस0 आलू जातियान गूजर नि0ग्राम जटेरी तहसील डीग

-फौरमल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लगा0 131 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 27.03.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 128 लगायत 131 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम जटेरी तहसील डीग के आराजी खसरा नम्बर 97/1.20 खाता संख्या 141 में प्रार्थीगण 11/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं फौरमल अप्रार्थीगण मोतीराम 19/60 एवं शिब्बो व रग्गो 19/60 हि0 के खातेदार काश्तकार है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 98/854 रकबा 1.15 नवीन खाता संख्या 74 में प्रार्थीगण 51/115 हि0 के खातेदार काश्तकार है। सैटिलमेंट विभाग द्वारा उपरोक्त नये नम्बरान 97 एवं 98/854 पुराने साविक नम्बर 246 एवं 322 से बनाये है व उसी साविक नम्बर के आधार पर ही उपरोक्त साविक खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल के आधार से सम्बन्धित आराजी मुत0 का नक्शा बनाया था इसके भी अतिरिक्त उपरोक्त खसरा नम्बर साविक 246 व 322 के पास गैर मुमकिन पहाड स्थित है। वक्त सैटिलमेंट विभाग के द्वारा साविक खसरा नम्बर 246 एवं 322 के नये नम्बरान व उनका क्षेत्रफल को सैटिलमेंट के द्वारा ही बना दिया गया,परन्तु नये नम्बरान से सम्बन्धित आराजी मुत0 का नक्शा गलत प्रकार से बना दिया और नक्शा को गै0मु0 पहाड की तरफ बढा दिया जिसके कारण उपरोक्त खसरा नम्बरान की पैमाईश साविक क्षेत्रफल के अनुसार नहीं हो पा रहा है। तहसीलदार डीग हाल नक्शा को गलत बनने के कारण प्रार्थीगण को आराजी मुत0 से बेदखल करने की धमकी देते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लगायत 131 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के साविक नक्शा के अनुसार हाल नक्शा को दुरूस्त किया जावे और साविक नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण के साविक नक्शा के अनुसार पैमाईश कराई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 लगायत 131 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर असल प्रति0 तहसीलदार डीग तथा फौरमल प्रति0 2 लगायत 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.12.2008 को तहसीलदार डीग से साविक खसरा नम्बर व मिलान क्षेत्रफल से मिलान कर वादग्रस्त भूमि के मौके की रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 17.07.2009 को तहसीलदार डीग से रिपोर्ट प्राप्त हुई। आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 1.20 व 98/854 रकबा 1.15 वाके

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

ग्राम जटेरी मुताविक वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2062-2065 के खाता संख्या 141 के अनुसार मोतीराम पुत्र राजाराम हि. 19/60 शिब्बो, रग्गो पिस0 आवू के हि0 बरा0 19/60 कॉम गूजर घन्सी ,गोपी पिस0 बादाम 11/30 कॉम कुम्हार सा0 देह खातेदार रहिन हि0 घन्सी,गोपी,मोतीराम पी.एन.बी. शाखा खोह मुर्त. इ.नम्बर 322,331,342 शुद्विपत्र संख्या 3 एवं खसरा नम्बर 98/854 रकबा 1.15, खाता संख्या 74 अनुसार पदम पुत्र कुम्पी द्वारा बेचान से धोरी पत्नी बलराम व किन्नो पत्नी
पूरन हि0 बरावर हि0 64/115 घन्सी ,गोपी पिस0 बादाम हि051/115 कॉम कुम्हार सा0देह खातेदार रहिन घन्सी,गोपी पी.एन.बी. शाखा खोह मुर्त. इ.नम्बर 322 दर्ज रिकार्ड है एवं मौके अनुसार वर्तमान में उक्त रकबा पर उक्त खातेदार काबिज है और वर्तमान में मौके पर रकबा खाली पडा हुआ है।

दिनांक 04.01.2011 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार डीग की रिपोर्ट पर आपत्ति लिखित में प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार तहसीलदार डीग से विवादित आराजी की साविक भूमि से मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये नम्बरान की मौके की रिपोर्ट तलब की गई थी प्रस्तुत रिपोर्ट आदेशानुसार नहीं है। पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। दिनांक 25.10.2021 को तहसीलदार डीग से पुनः रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साविक खसरा नम्बर 246 व 322 से बने हाल खसरा नम्बर 97 व 98/854 को दुरूस्त करने का बाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा पत्रावली में गत भू-प्रबंध सम्बत 1982 का भू-प्रबंध का नक्शा के साथ सम्बत 2021 से 2024 की जमाबन्दियां एवं 2062 से 2065 की जमाबन्दियां संलग्न की गई है। गत भू-प्रबंध के वाद नक्शे में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में गत भू-प्रबंध सम्बत 2082 का अन्तिम नक्शा(पटवार परत) की नकल संलग्न नहीं है। साथ ही गत भू-प्रबंध सम्बत 1982 की मिसल बन्दोवस्त(खाते की नकल)संलग्न नहीं की है। जिससे गत सैटिलमेंट में उक्त नम्बरान का रकबा कितना था। इसका खुलासा नहीं हो रहा है। वादी द्वारा संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 में कुछ खातेदारों की नकल है। इसके अलावा भी कोई खातेदार इस भूमि का है या नहीं इसका खुलासा नहीं हो रहा है। अर्थात वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संलग्न साक्ष्य अपूर्ण होने के कारण वाद निरस्त किया जावे। दिनांक 03.12.2021 को प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री अनिल कुमार गुप्ता एड0 के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 24.12.2024 को तहसीलदार डीग ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि वादीगणों द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल वर्तमान खसरा नम्बरान 15, 16, 97, 98/854 के साविक खसरा नम्बर 18मिन, 174, 246, 322 मिन बने है लेकिन कोई रकबा साविक दर्ज नहीं है। मिलान सम्पूर्ण पेश नहीं किया गया,गत रकबा कितना था। भू-प्रबंध के वाद नक्शे में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्वत 1982 का अन्तिम नक्शा(प्रति पटवार) पेश नहीं की है। हाल के साथ गत नम्बरान की जमावन्दी पेश नहीं की है। इसके साथ से 2021 से 2024 पूर्ण जमाबन्दी पेश नहीं की है। हाल खसरा नम्बर 97, 98/854 के गत खसरा नम्बर 246, 322 मिन बनाऐ गये जिनके साविक रकबा दर्ज नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

वकील वादी ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि हमने मिलान क्षेत्रफल पेश किया है। हमारा बाद हाल नक्शे को साविक नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया है। पहाड की ओर बढाया गया है। हमारा कब्जा है इस सम्बन्ध में तहसीलदार डीग की रिपोर्ट है। मौके पर कृषि योग्य भूमि है। मौके पर पहाड नहीं है। साविक के मुकावले हाल नक्शा बनाया जावे।
हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार डीग की मौका रिपोर्ट, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य प्रदर्श-1 भू-पबंध विभाग मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041,प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्बत 2062 से 2065 हाल खसरा नम्बर 97 रकबा 1.20 किस्म बंजड खसरा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 98/854 रकबा 1.15 किस्म बंजड प्रदर्श-3 नक्शा अक्स की सत्य प्रतिलिपि हाल खसरा नम्बर 97 व खसरा नम्बर 98/854,प्रदर्श-4 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 साविक खसरा नम्बर मिन 322 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा किस्म कदीम, प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 साविक खसरा नम्बर 322 मिन 246 मिन प्रदर्श-6 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024, प्रदर्श-7 प्रमाणित प्रति नक्शा किश्तवार सम्बत 2033 से 2034 हाल खसरा नम्बर 97 व 98/854,प्रदर्श-8 नक्सा किश्तवार सम्बत 1982, प्रदर्श-9 अक्स सजरा किश्तवार ग्राम जटेरी सम्बत 1982 सन 1926 साविक खसरा नम्बर 322, 246 प्रदर्श-10 मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 हाल खसरा नम्बर 97 व 98/854 का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य से सावित नहीं होने से प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 लगायत 131 एल.आर.एक्ट साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लगायत 131 एल.आर.एक्ट, प्रस्तुत रिकार्ड से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड डीग
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner